

- अनुमति की शर्तें ।
- (i) एक भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वामिन विना नहीं करती है ।
 - (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निर्माण का कोई कारवायिका नहीं होगा तथा न ही निर्माण किसी स्तिपूर्ति के लिए आवश्यक होगा ।
 - (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से आवश्यक विधायक को सूचित करेगा ।
 - (iv) स्वीकृत पत्रों की विपरीत निर्माण कार्य होने पर स्वीकृत विवेक ही लागू रहेगी है ।

प्रधान लिडकी कैम्पल भावाजीय प्रोपराय

कार्यालय नगर विभाग, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 133 दिनांक 21/06/2019

प्राची आभिके जे 310 सी डारकप मल जोकसिया

ने सहायक नगर पंचायत अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवश्यक

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में भेज

कर स्विकारण एडि स्थले 69691-जमा

जरीये रसीद संख्या 1038/2625-2624

दिनांक 21/06/19 को जमा करा ही है ।

प्रमाणित

श्रीलक्ष्मी भांडू

सहायक नगर विभागाध्यक्ष

नगर विभाग, जोधपुर

प्रा. 71
भावाजीय

Sunil
26/08/16

94130-29997